

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास - श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 25/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		मोतीराम सियाग पुत्र मानाराम सियाग जाति जाट हाल निवासी खत्रीपुरा, तहसील व जिला नागौर। स्थायी निवासी सियागो का मौहल्ला, मुकाम पोस्ट पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर। फर्म-गोपाल सोनपपडी एवं मावा भण्डार, प्राईवेट बस स्टेण्ड, बडली रोड, नागौर।

आदेश

दिनांक : 21.12.18

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27-02-18 को गोपाल सोनपपडी एवं मावा भण्डार, प्राईवेट बस स्टेण्ड, बडली रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 952 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 243/एक्ट/2018/262 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रसगुल्ला (छैना मिठाई) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त मोतीराम सियाग पुत्र मानाराम सियाग जाति जाट हाल निवासी खत्रीपुरा, तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 13-07-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से ने अपने जवाब दिनांक 21.12.18 में जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह छोटा दुकानदार है तथा बाहर से दूध खरीद कर लाता है। जिसमें गाय, भैंस, बकरी का मिक्स दूध होता है। भविष्य में गलती नहीं करने बाबत आश्वस्त किया गया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 243/एक्ट/2018/262 दिनांक 05.04.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी ने जुर्म स्वीकार कर स्वेच्छापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी मोतीराम सियाग पुत्र मानाराम सियाग जाति जाट हाल निवासी खत्रीपुरा, तहसील व जिला नागौर पर 5,000/- अक्षरे रूपये पांच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयवधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

